न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2015

महेश गिर आ. श्री लालगिर आय वयस्क
निवासी ग्राम बावड़िया गोसाई तहसील इछावर
जिला सीहोर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. पवन गिर आ. श्री देवगिर आयु वयस्क
02. शिवगिर आ. श्री देवगिर आयु वयस्क
दोनों जाति गोसाई निवासी ग्राम
रामपुरा तहसील इछावर जिला सीहोर म0प्र0 ....रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30/07/2015 प्रकरण क्रमांक 25/अपील/14-15 (पवन गिर आदि विरूद्ध महेश गिर) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय इछावर।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. **प्रकरण क्रमांक 25/अपील/14-15 (पवन गिर आदि विरूद्ध महेश गिर) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ~~तहसीलदार~~ अनुविभागीय अधिकारी महोदय इछावर दिनांक 30/07/2015**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय इछावर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट के द्वारा अपील अंतर्गत धारा 44(1) के तहत प्रस्तुत की गई एंव अपील के माध्यम से प्रकरण कमांक 07/अ-6/2005-06 के आदेश दिनांक 23/06/2006 को चुनौती दी गई एंव साथ ही अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई जिस पर निगरानीकर्ता के द्वारा अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट के द्वारा अपील प्रस्तुति के आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया गया एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं है एंव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं रहा है इस कारण से अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा अपील प्रस्तुति की अनुमति के अपने तर्क प्रस्तुत किये गये परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 30/07/2015 को अपील प्रस्तुति की अनुमति के तर्क श्रवण करने बावजूद भी उसका निराकरण विधिवत न करते हुये अपील प्रस्तुति के आवेदन पत्र के साथ अवैधानिक प्रकिया अपनाकर धारा 5 का निराकरण कपोलकल्पित प्रकिया अर्थात विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाकर किया गया एवं धारा 5 का आवेदन पत्र बगैर

निरंतर पेज 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -3491–दो–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश महेश गिरि/पवन गिरि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी इच्छावर के प्रकरण कमांक 25/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एन.एस. ठाकुर द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.07.15 का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में यह अंकित करते हुए कि अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वे भी मृतक फूलगिरि के वारिस है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त तथ्यों के संबंध में आवेदक गण द्वारा यह आपत्ति तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं रहे हैं इस कारण पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो में यह भी अंकित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन बिना सुनवाई के स्वीकार कर लिया गया है जो निरस्ती योग्य है। उक्त तथ्यों के संबध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रकरण में विवादित तथ्य का निराकरण उभयपक्ष को गुण दोष पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने से ही हो सकता है ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाकर धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत करने	

प्रकरण कमांक R -3491–दो–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश महेश गिरि/पवन गिरि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

की अनुमति के संबंध में तो उभयपक्ष को सुना गया है किन्तु धारा 5 के आवेदन पर उभयपक्ष को सुने जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में धारा 5 के आवेदन पर लिए गये निर्णय को निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को समयविधान की धारा 5 के आवेदन पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पहले पुनः निर्णय धारा 5 के आवेदन पर पारित करें तत्पश्चात प्रकरण में गुणदोष पर निर्णय हेत अंतिम तर्क सुनकर निर्णय पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के शेष निर्णय से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अंतिम तर्क हेतु नियत है। जहां वे अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो।

12.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य